आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक संख्या 4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
ईमेल–hrd.cce@gmail.com दूरभाष नं. : 0141–2705471

क्रमांकः एफ1(2)(166)पीएस/निकाशि/19/205 दिनांक 12/11/22

1– समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय/राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजस्थान

2– सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा,
जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर

3– संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

विषयः– राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2022 के तहत शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत सीनियर/चयनित/पे बैण्ड–IV तथा प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के क्रम में ।

सन्दर्भः– कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 1(6)डीओपी/ए–II/84 पार्ट दिनांक 14.10.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत सीनियर/चयनित/पे बैण्ड–IV तथा प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु दिनांक 14.10.2022 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2022 लागू किया गया है (अधिसूचना दिनांक 14.10.2022 की हिन्दी व अंग्रेजी की प्रति संलग्न है)। अधिसूचना दिनांक 14.10.22 के अनुसार दिनांक 18.7.2018 के पश्चात पात्रता रखने वाले शिक्षक अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर यह विकल्प दे सकते है कि उन्हें सीनियर/चयनित/ पे बैण्ड–IV तथा प्रोफेसर पद पर पदोन्नति नवीन नियम (राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2022) से चाहिये या पुराने नियम (यूजीसी रेग्यूलेशन, 2010, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ1(06)शिक्षा–4/2010 दिनांक 08.05.2013 एवं कार्मिक विभाग (A-Gr. II), राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.1(6)DOP/A-II/84 दिनांक 31.01.2018 (प्रति संलग्न)) से चाहिये।

अतः उपर्युक्तानुसार ऐसे पात्र शिक्षकों से निर्धारित समयावधि में संलग्न विकल्प पत्र भरवाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्तालय भिजवाये ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(केसर लाल मीणा)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि प्रभारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।

11/11/2022
संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत सीनियर/चयनित/पे बैण्ड–IV तथा प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 14.10.2022 को राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2022 के कम में जारी अधिसूचना के संबंध में

विकल्प पत्र

*1– मैं .... कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत .... (सीनियर/चयनित/पे बैण्ड–IV तथा प्रोफेसर) वेतनमान हेतु पदोन्नति के लिए दिनांक .... से पात्र हूँ।

2– मैं उक्त पदोन्नति का लाभ नवीन नियम (राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2022) में वर्णित प्रावधानों के तहत लेना चाहता/चाहती हूँ।

या

मैं उक्त पदोन्नति का लाभ पुराने नियम (यूजीसी रेग्यूलेशन, 2010, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र कमांक एफ1(06)शिक्षा–4/2010 दिनांक 08.05.2013 एवं कार्मिक विभाग (A-Gr. II), राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक F.1(6)DOP/A-II/84 दिनांक 31.01.2018 में वर्णित प्रावधानों के तहत लेना चाहता/चाहती हूँ।

* **To Be Scored Out, If not Applicable.**

हस्ताक्षरः ....

नामः ....

पद मय विषयः ....

महाविद्यालय का नामः ....

दिनांकः.........................

घोषणा

स्थानः.............................

दिनांक.........................

उपर्युक्त प्राप्त किया

हस्ताक्षर प्राचार्य

मुहर